

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

6.6.24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उपस्थित  
विवक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर रजिस्ट्र एडी  
से प्राप्त हुए जिसे शापण किये गये। विवक्षीगण  
को कितनी बार क्रक-क्रक कर आवाजे दिलायी  
जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विक्रह पत्र  
तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता  
है वकील प्रार्थिया को शापण स्वीकार किया जाकर  
निर्णय पुस्तक से लिखा जाकर शापण किये गया।  
पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

✓  
उपस्थित अधिकारी  
मांडल जिला मीलगाड़ा



बनाम

मन्ना 0/0 नारायण कीर निगारी - मैजा तहसील - माण्डल [वर्ग] (घाबंकित प्र-पत्र सानग)

- विपरीत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 06 06 24

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया के मैजा पटवार हल्का मैजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की 1107 कुल किता 01 रकबा 0.2909 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि गण के मध्य आराजी नुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होना जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.11.23 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को प्रार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रान मैजा पटवार मैजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1107 कुल किता 01 रकबा 0.2909 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु नू-अभिलेख निरीक्षक मैजा 100 रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर नहीं की जावे।

उपसहस्र अधिकारी  
माण्डल मैजा

- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपसहस्र अधिकारी  
माण्डल मैजा